



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2218592, ई-मेल : cgmrespopcl@gmail.com

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 2458-रेस्पो/सौभाग्य/मीटर विशिष्टि

दिनांक: 20 जुलाई, 2021

विषय- सिंगल फेज 5-30 एम्पीयर एनर्जी मीटर की मानक तकनीकी विशिष्टि के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,

विद्युत वितरण निगम लि०,

पश्चिमांचल- मेरठ/दक्षिणांचल- आगरा/

मध्यांचल-लखनऊ/पूर्वांचल-वाराणसी

एवं कैस्को-कानपुर।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पावर कारपोरेशन के पत्र संख्या 1851-रेस्पो/सौभाग्य/मीटर विशिष्टि दिनांक 30.06.2020 के द्वारा सिंगल फेज 5-30 एम्पीयर एनर्जी मीटर की मानक तकनीकी विशिष्टि निर्गत की गयी थी एवं तदोपरान्त पत्र संख्या 428-रेस्पो/सौभाग्य/मीटर विशिष्टि दिनांक 21.01.2021 के द्वारा उपरोक्त तकनीकी विशिष्टि के द्वारा कतिपय प्राविधानों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

तदोपरान्त संज्ञानित हुआ कि वितरण निगमों के स्तर से आमंत्रित सिंगल फेज मीटरों के क्रय हेतु निविदाओं में सम्भावित निविदादाता द्वारा पावर कारपोरेशन के पत्र संख्या 428-रेस्पो/सौभाग्य/मीटर विशिष्टि दिनांक 21.01.2021 से निर्गत पत्र के बिन्दु संख्या- 1 पर अंकित निरीक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज की है एवं इसमें संशोधन का अनुरोध किया है।

उक्त के दृष्टिगत मीटर के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निरीक्षण हेतु प्रस्तुत निरीक्षण प्रस्ताव के उपरान्त वितरण निगमों के स्तर से सामग्री के निरीक्षण हेतु निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

1. वितरण निगमों पर आपूर्तित सिंगल फेज मीटरों की सैम्पुल टेस्टिंग केवल CPRI परीक्षणशाला में ही करायी जायेगी।
2. मीटर आपूर्तिकर्ता द्वारा मीटरों के निरीक्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त डिस्काम द्वारा न्यूनतम दो भिन्न अधिकारियों (अधिकांश अग्रिम स्तर तक की) एक टीम का गठन किया जायेगा जो कि मीटर निर्माता के वर्क्स पर IS13779:1999 के Annexure H के क्लॉज H2.1 के अनुसार निरीक्षण हेतु मीटरों में से Random आधार पर मीटरों के सैम्पुल का चयन करेगी।
3. निरीक्षण टीम अपनी उपस्थिति में सैम्पुल मीटरों पर निगम की सील लगायेगी एवं मीटर व सील क्रमांक का विवरण अपने सीलिंग सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से अंकित करेगी। निरीक्षण टीम द्वारा सील किये हुये मीटरों को अपनी उपस्थिति में इस प्रकार पैकिंग में बन्द भी कराया जायेगा कि इसमें किसी प्रकार की छेड़खानी सम्भव ना हो। निरीक्षण टीम द्वारा अपने सीलिंग सर्टिफिकेट में प्रत्येक सील का नम्बर व अपने Specimen Signatures का उल्लेख किया जायेगा तथा अपनी निरीक्षण आख्या में भी इसका उल्लेख किया जायेगा।
4. निरीक्षण टीम द्वारा सील व पैक कराये गये मीटरों को निर्देशित की गयी CPRI परीक्षणशाला तक ले जाने, लाने एवं समस्त परीक्षण शुल्कों के भुगतान का पूर्ण उत्तर दायित्व मीटर निर्माता का होगा।

5. CPRI परीक्षणशाला द्वारा IS13779:1999 (With all latest amendments) में वर्णित समस्त Acceptance Test पर सैम्पुल मीटरों का परीक्षण किया जायेगा जिसमें निम्न प्रक्रिया वर्णित है:-

H-1 LOT

H- 1.1 In any consignment, all the meters of the same type and rating manufactured by the same factory during the same period shall be grouped together to constitute a lot.

H- 1.2 Sample shall be tested from each lot for ascertaining the conformity of the meters to the requirements of specified acceptance test.

H- 2 SCALE OF SAMPLING

H- 2.1 The number of meters to be selected from the lot depends upon the size of the lot and shall be in accordance with Table 26.

Table 26 Sampling Plan					
Lot Size (1)	$N_1^{1)}$ (2)	$N_2^{2)}$ (3)	$(N_1 + N_2)$ (4)	C_1 (5)	C_2 (6)
Up to 300	8	-	8	0	-
301 to 500	13	13	26	0	2
501 to 1000	20	20	40	0	3
1001 and above	32	32	64	1	4
¹⁾ Size of the first sample.					
²⁾ Size of the second sample.					

H- 2.2 The meters shall be taken at random from the lot. The procedure given in IS 4905 may be adapted.

H- 3 NUMBER OF TESTS AND CRITERIA FOR ACCEPTANCE

H- 3.1 Test of No-Load Condition and Starting Condition

A sample of N_1 meters selected according to col 2 of Table 26 shall be tested for the above tests. Any meter failing in any one of these tests shall be considered defective. If the number of defectives found in the sample is less than or equal to C_1 , the lot shall be considered to be conforming to these tests. If the number of defectives is greater than or equal to C_2 , the lot shall be considered as not conforming to these tests. If the number of defectives is between C_1 and C_2 , a further sample of N_2 meters shall be taken according to col 3 of Table 26 and subjected to these tests. If the number of defectives in two samples combined is less than C_2 , the lot shall be considered as conforming to these tests, otherwise rejected.

H- 3.2 (i) Tests of insulation resistance, (ii) AC voltage tests, (iii) Test of power consumption, (iv) test of meter constant/registration, (v) limits of error and interpretation of test results and adjustment (if required).

Form the sample of meters which have been drawn according to H-3.1 and those that have passed all tests of H-3.1. A sample of 8 meters shall be tested, all of which shall pass for conformity to these tests. If any of the meters fails in any of these tests, the whole lot shall be declared not conforming to the requirements of these tests.

H- 3.3 Tests for Repeatability of Error

Above tests shall be carried out on 3 samples selected from above 8 meters under H-3.2 and shall be tested for repeatability of error tests separately. If any one of the meters fails the whole lot shall be declared not conforming to the requirements of these tests.

H- 3.4 The lot shall be considered as conforming to this specification, if provisions of H-3.1, H-3.2 and H-3.3 are satisfied.

6. उपरोक्त बिन्दु-5 के परीक्षणों के अतिरिक्त ऐसे परीक्षण जो कि CPRI परीक्षणशाला द्वारा नहीं किये जाते हैं, निगम की निरीक्षण टीम द्वारा पावर कारपोरेशन के पत्र संख्या 1851-रेस्पो/सौभाग्य/मीटर विशिष्ट दिनांक 30.06.2021 (यथा संशोधित) के द्वारा निर्गत सिंगल फेज मीटर की मानक तकनीकी विशिष्टि में वर्णित अन्य सभी निम्न परीक्षण मीटर निर्माता के वर्क्स पर किये जायेंगे:-

a. Single Phase (5-30A) Electronic Energy Meter.

- Clause 5.9 – Display Parameter & Type of Display (Except those tests which are covered in acceptance test at CPRI).

- ii. Clause 5.11 – General Requirement.
- iii. Clause 5.13 – Temper & Fraud Protection.
- iv. Clause 5.17 – Printed Circuit Board.

b. Pilfer Proof Meter Box (Push fit Type)

- i. Clause 6.2.3 – Test for boxes.
- ii. Clause 6.2.4 – Acceptance Test.
- iii. Clause 6.2.5 – Routine Test.

In addition to above, the inspection team shall also have to conduct any other tests prescribed by the Discom in the Tender Bid Specification.

7. CPRI-Noida द्वारा IS13779:1999 (With all latest amendments) में वर्णित समस्त Acceptance Test पर सैम्पुल मीटरों का परीक्षण 10 कार्य दिवसों में पूर्ण करने पर लिखित सहमति दी गई है। अतः निगम की निरीक्षण टीम द्वारा मीटरों की सैम्पुलिंग, पैकिंग व CPRI द्वारा किये जाने वाले Acceptance Tests के अतिरिक्त अन्य परीक्षणों में मानकों के अनुसार पाये जाने की स्थिति में मीटर निर्माता सैम्पुल मीटरों के CPRI परीक्षणशाला में प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के उपरान्त अपने व्यय पर उस लॉट की आपूर्ति "Engineer of Contract" के निर्देशानुसार निगम के भण्डार केन्द्रों पर कर सकता है किन्तु CPRI परीक्षणशाला में मीटरों के सफल परीक्षण तक न ही इनको उपभोक्ताओं के परिसर पर स्थापना हेतु निर्गत किया जायेगा और न ही इस लॉट के विरुद्ध कोई भुगतान मीटर आपूर्तिकर्ता को देय होगा। CPRI परीक्षणशाला में मीटरों को मानकों के अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में मीटर आपूर्तिकर्ता द्वारा उस लॉट के सम्पूर्ण मीटर निगम के भण्डार केन्द्रों से अपने व्यय पर वापस ले जाने होंगे।
8. निरीक्षण टीम के निरीक्षण अथवा CPRI में किये गये Acceptance Tests में मीटर को तकनीकी विशिष्टि के अनुसार ना पाये जाने पर मीटर निर्माता पर निम्न पेनाल्टी लगायी जायेगी:-

Case	Failure	Penal Action		
		Replacement	Financial Penalty	Debarment from business/Blacklisting
Failure-1	Ist time failure in fresh lot	100%	NIL	NIL
Failure-2	IIInd time failure in subsequent lot or replaced previous lots of same P.O.	100%	10% of the ex-works (including F&I) value of the lot plus GST.	NIL
Failure-3	IIIrd time failure in subsequent lot or replaced previous lots of the same P.O.	100%	NIL	Debarment/blacklisting from business in All DISCOMs for 1 year (+) encashment of performance bank guarantee

9. वितरण निगमों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि CPRI को परीक्षण हेतु प्रेषित किये गये सैम्पुल मीटर, सफल परीक्षणोपरान्त यथासम्भव एक ही भण्डार केन्द्र पर प्राप्त किये जायें।
10. मीटर की मानक तकनीकी विशिष्टि के क्लाज 5.9.7 LED/LCD Indicators/Present Tamper Status: Meter should indicate following indicators of size 5 mm के स्थान पर LED/LCD Indicators/Present Tamper Status: Meter should indicate following indicators which should be distinctively visible with naked eyes पढ़ा जाये।
11. मीटर की तकनीकी विशिष्टि के क्लाज 5.9.2 xiv के अनुसार "The LCD display should have a wide angle of 120 degree and upto 1 meter distance for clear visibility of the display of the meter reading at distance" को स्पष्ट किया जाता है कि "The LCD display should have a wide angle of approx. 60 degree from the horizontal line and upto 1 meter distance for clear visibility of the display of the meter reading at distance"


12. मीटर की तकनीकी विशिष्टि के क्लाज 5.9.2 (i), (ii) एवं (iii) को निम्नवत् पढ़ा जाये:-

- i. Minimum 03 months active cumulative kwh history for each calendar month for previous Three (03) months or more. However at BCS end 12 months or more histories should be available.
- ii. Minimum 03 month maximum demand (kw) history for each calendar month. However at BCS end 12 months or more histories should be available.
- iii. Minimum 03 month apparent cumulative kwh history for each calendar month for previous Three (03) months or more. However at BCS end 12 months or more histories should be available.

13. अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(अश्वनी कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वितरण)

प्रति:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य), विद्युत वितरण निगम लि०, पश्चिमांचल-मेरठ / दक्षिणांचल-आगरा / पूर्वांचल-वाराणसी / मध्यांचल-लखनऊ एवं कोस्को-कानपुर।